| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
| --- | --- | --- |

**05.09.2023**

पत्रावली वास्ते आदेश 41 नियम 27 एवं प्राथमिक एतराज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।

वकील रैस्पो0 का प्राथमिक एतराज पर तर्क रहा है कि अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश अग्रिम पेशी तक ही जारी किया गया है, जो एक अन्तरिम आदेश है। उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने के लिये रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस भी जारी किये गये हैं। इस कारण अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील मैन्टेबिल नहीं होने के कारण इसी स्तर पर काबिले खारिजी है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाव प्रस्तुत कर दिया है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में बहस हेतु नियत है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के साथ पेश की जा रही हैं। अतः प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 स्वीकार किया जाकर, दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। आगे निवेदन किया कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध कोई व्यक्ति एक साथ दो लाभ नहीं ले सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2016 पेज 207, आरआरटी 2016(2) पेज 1082, आरआरटी 2014–15 पेज 59, 2016–17 पेज 687 का उद्धरण पेश किया।

अपीलाण्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2023 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर दिया गया आदेश है जिसके विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् में अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय है। अधीनस्थ न्यायलय के अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट को दोनों उपचार उपलब्ध हैं। यानि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील भी कर सकता है और जवाव आदि प्रस्तुत कर आदेश परिवर्तित भी करा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाव आदि प्रस्तुत करने से न्यायालय की समक्ष विचाराधीन अपील पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। अतः प्राथमिक एतराज एवं प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 दोनों प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2010(2) पेज 744, आरबीजे 2022 पेज 25 का उद्धरण पेश किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर गनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत अपील से संबंधित हैं एवं सुसंगत व अपील के निर्णय में सहायक हैं। अतः रिकार्ड पर लिये जाते हैं। जहॉ तक प्राथमिक एतराज का प्रश्न हैं। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 पेज 409 माननीय राजस्व मण्डल बृहदपीठ के निर्णय पैरा संख्या 50 में यह सिद्धन्त प्रतिपादित किया है कि–

an ex-parte order granting temporary injuction under Section 212 of the Act, in normal circumstances, is not appealable under Section 225 of the said Act, but if the Court granting such an ex-parte temporary injuction fails to perform its mandatory duty as provided in Rule 3 and 3A of Order 39 othe Code, then the aggrieved party who is deprived of justice due to inaction of the Court shall be entitled to right of appeal against an ex-parte or ad- interim ex-parte order granting temporary injunction.

इसी प्रकार न्यायिक नजीर डी0एन0जे0 2014(1) पेज 35 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्तान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण Venkatasubbiah Naidu Vs. S. Ahallappan & Ors 2000(3) के फैसले को संदर्भित करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

Under the normal circumstances the aggrieved party can prefer an appeal only against an order passed under Rule 1,2, 2-A, 4 or 10 of Order

राजस्व अपील प्राधिक
भरतपुर (राज.)

39 of the code in terms of Order 43 Rule 1 of the code. He cannot approach the appellate or revisional Court during the pendecy of the application for grant or vacation of temporary injuction. In such circumstances the party who does not get justice due to the inaction of the Court in following the mandate of law must have a remedy. in a case where the mandate of Order 39 Rule 3-A of the Code is flouted, the aggrieved party, shall be entitled to the right of appeal notwithstanding the pendeny of the application for grant or vacation of a temporary injuction, against the order remaining in force.

Failure to decide the application or vacate the ex party temporary injuction shall, for the purposes of the appeal, be deemed to be the final order passed in the application for temporary injuction. on the date of expiry of thirty days mentioned in the Rule.

न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्णय का सम्मान तथा पालन करना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर अग्रिम पेशी दिनांक 03.07.2023 (एक माह से अधिक) निर्धारित की गयी है। जिसे न्याय एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो की दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा भी उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 21.06.2023 को एक माह पूर्व ही प्रस्तुत की गयी है। हम पाते हैं हस्तगत अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। नियमानुसार अन्तरिम आदेश के विरूद्ध सामान्य तौर पर अपील लाई नहीं करती है। अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह वह अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में ही अपनी आपत्ति दर्ज करवाते। प्रार्थना पत्र 41 निमय 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो गये हैं। उपरोक्त तथ्यो एवं न्यायिक दृष्तान्त की पृष्ठभूमि में, हम रैस्पो0 के प्राथमिक एतराज को आंशिक स्वीकार योग्य पाते हुये, अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त की अनुपालना में एवं दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथी से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.09.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें।

05.09.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)